दिनांक–23 अक्टूबर, 2013 को संवेदक, मेसर्स किलोस्कर ब्रदर्स लि0, पुणे द्वारा कराये जा रहे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं हेतु मुख्य अभियंता (नागरिक) के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– संलग्न परिशिष्ट–'क'।

1. **गया शहरी जलापूर्ति योजना :–**

   यह योजना तीन जोन में बंटी है :–

- **जोन–1 (ए0 पी0 कॉलोनी) :–** कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया द्वारा बताया गया कि फर्म का कोई भी तकनीकी तथा जिम्मेवार एवं उत्तरदायी प्रतिनिधि विगत छः माह से कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कार्य बाधित है। अधीक्षण अभियंता, गया द्वारा बताया गया कि योजना के ए0पी0 कॉलोनी जोन में शेष बचे पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यक डी0 आई0 स्पेशल्स फर्म द्वारा कार्य स्थल पर नहीं लाया गया है, जिसके फलस्वरूप मिसिंग लिंक का कार्य नहीं हो रहा है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्पेशल्स तथा अन्य समाग्री की आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपूर्ति के बाद कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

- **जोन–2 (डण्डी बाग) :–** कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया द्वारा बताया गया कि इस जोन के सभी कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी गई है।

- **जोन–3 (मानपुर जोन) :–** कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस जोन में लो भोल्टेज के कारण मोटर जल गया था, जिसे मरम्मति कराकर ठीक कर लिया गया है, परन्तु भोल्टेज की समस्या अभी भी बरकरार है। मुख्य अभियंता (ना0) द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा इस जोन के जोड़ा मस्जिद तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में निर्मित जलापूर्ति केन्द्रों पर भोल्टेज की समस्या के हल हेतु प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 से पत्राचार किया गया हैं। अधीक्षण अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि विद्युत विभाग द्वारा भोल्टेज की समस्या ठीक हो जाने की सूचना दी गई है। मुख्य अभियंता (ना0) द्वारा फर्म के प्रतिनिधि तथा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि दि0–24.10.13 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर दूरभाष द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना उन्हें दि0–24.10.13 के अप0 में देंगे। इनके द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि योजना के जनकपुर स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय जिला स्तरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका हल निकालें एवं इसमें हुई प्रगति के संबंध में सूचना दें। सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु अंतिम समय–सीमा **दि0–15.12.13 तय की गई।** फर्म के प्रतिनिधि को यह निदेश दिया गया कि निर्धारित समय–सीमा अक्षरशः पालन करें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि गया हेतु फर्म के प्रतिनिधि श्री पार्थो बनर्जी (मोबाईल नं0– 9831100957) को इस कार्य हेतु स्थायी रूप से कार्य पूर्ण होने तक गया में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा वें स्थाई रूप से गया में रहेंगे।

(कार्रवाई–अधी0 अभि0, गया/कार्य0 अभि0, गया/फर्म)

2. **दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना (फेज–1 तथा फेज–2) :–**

- कार्यपालक अभियंता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज–I एवं दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज–II अंतर्गत प्रावधानित सभी आठ जलमीनार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु, पाईप संयोजन के अभाव में जलमीनार में पानी चढ़ाकर टेस्टिंग नहीं किया जा सका है। कार्यपालक अभियंता, द्वारा यह भी बताया गया कि फर्म द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यक पी0सी0सी0 रोड काटने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग करते हुए विगत कुछ महीनों से कार्य नहीं किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता (ना0) द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा के निष्पादन के दौरान हीं पी0सी0सी0 रोड सहित सभी प्रकार के सड़क के काटने एवं इसके पुनः बनाने के कार्य को सम्मिलित करते हुए दर पर योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः, इस कार्य हेतु अलग से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। फर्म द्वारा समय–वृद्धि एवं प्राईस न्यूट्रालाइजेशन के संबंध में अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता (ना0) द्वारा निदेश दिया गया कि फर्म के द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, फर्म द्वारा अंतिम रूप से निम्न समय–सीमा के अधीन सभी निर्धारित कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे :–

1. लक्ष्मी सागर क्षेत्र – दिनांक– **30.11.13.**
2. राय साहब पोखर क्षेत्र– दिनांक– **31.12.13.**
3. जिला स्कूल क्षेत्र – दिनांक– **31.12.13.**
4. लॉ कॉलेज क्षेत्र – दिनांक– **15.02.14.**
5. मिल्लत कॉलेज क्षेत्र– दिनांक– **15.01.14.**

इस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सहमति व्यक्त दी गई।

कार्यपालक अभियंता शेष तीन क्षेत्रों के संबंध में स्थलीय वस्तुस्थिति तथा कराये गये कार्यों एवं अवशेष कार्यों के आधार पर समय–सीमा का आकलन कर दो सप्ताह के अंदर फर्म से सहमति प्राप्त कर निर्धारित की गई समय–सीमा की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करावेंगे।

(कार्रवाई–संवेदक / कार्यपालक अभियंता, दरभंगा)

30/10/13

(जयशंकर चौधरी)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 7/जा0-109/10-832 दिनांक– 4/11/13

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ई–मेल द्वारा

2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना / मुजफ्फरपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (ना0) के आप्त सचिव / विशेष पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता (मो0 / मू0) / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करें।

30/10/13

(जयशंकर चौधरी)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 7/जा0-109/10-832 दिनांक– 4/11/13

प्रतिलिपि– M/s Kirloskar Brothers Ltd, "YAMUNA" Survay No. 98/3 to 7, Baner, Pune- 411045 (India), E mail ID: umesh.ulavi@kbl.co.in, suman.chakraborty@ kbl.co.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट / ई–मेल द्वारा

30/10/13

(जयशंकर चौधरी)
मुख्य अभियंता (नागरिक)